न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 69/2017 तारीख रजू:– 19.06.2017

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनूपसिंह
R.A.S.

1. गोपाल लाल
2. संतोष
3. भरतलाल
4. सियाराम

पिसरान चिरंजी जाति ब्राहम्ण निवासी जेबरसांकडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

———————————— वादीगण

बनाम

1. प्रकाश
2. द्वारिका
3. शिव कुमार
4. गोविन्द

पिसरान विष्णु जाति ब्राहम्ण निवासी जेबरसांकडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

5. बादाम पुत्र उमेद जाति कोली निवासी जेबरसांकडा तहसील हिण्डौन सिटी
6. रत्ती पुत्र उमेद जाति कोली निवासी जेबरसांकडा तहसील हिण्डौन सिटी

7. बन्टू
8. मुंशी
9. भूरी
10. बिजेन्द्र
11. रामसिंह
12. महेन्द्र

पिसरान परभाती जाति कोली निवासी जेबरसांकडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

13. सरकार जरिये तहसीलदारा तहसील हिण्डौन जिला करौली––प्रतिवादीगण

नोटः– प्रतिवादी सं010 फौत, उसके विरूद्ध वादी कोई कार्यवाही नहीं चाहता है इसलिए उसके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता एडवोकेट वादीगण

निर्णय

दिनांक :– 31-8-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने दावा बाबत् घोषणा खातेदारी विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 0.26 है0, 92 रकबा 0.44 है0, 93 रकबा 0.02 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम जेवरसांकडा तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं01 ता 4 के नाम दर्ज है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिका मद नं01 वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में से वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पिता विष्णु से खसरा नम्बर 88 एवं खसरा नम्बर 92 में से 50 एयर भूमि यानि 50/70 भाग एवं खसरा नम्बर 93 में से 1/4 भाग यानि 1/2 एयर जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 12.11.2003 को खरीदी है तभी से वादीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है और आज भी मौके पर वादीगण काबिज काश्त है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि वादीगण ने कार्तिक की फसल में उक्त आराजीयात में बाजरे की फसल काश्त की तथा बैसाख में गैहूँ की फसल काश्त की है तथा अगली फसल काश्त करने के लिए भूमि खाली पडी हुई है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त मौजूद है। वादीगण ने सीधेपन में अनभिज्ञता के कारण विकय पत्र के आधार पर अपने नाम नामान्तकरण नहीं खुलवाया। प्रतिवादीगण सं01 ता 4 के पिता विष्णु की मृत्यु हो जाने के पश्चात प्रतिवादी सं01 ता 4 ने वादीगण की भूमि का नाजायज फायदा उठाकर विरासत का नामान्तकरण अपने नाम खुलवा लिया और अपने नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली। वादीगण ने दिनांक 30.04.2005 को अपने नाम पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण विकय पत्र के आधार पर खुलवा लिया लेकिन प्रतिवादी सं01 ता 4 के पिता विष्णु की मृत्यु हो जाने के कारण नामान्तकरण विक्रेता के फौत हो जाने के कारण तहसीलदार हिण्डौ ने दिांक 24.10.2005 को खारिज कर दिया, जिसका नामान्तकरण सं0 22 है और विकय पत्र के आधार पर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज नहीं हो सकी।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण सं01 ता 4 अत्यन्त चालाक किश्म के व्यक्ति हैं, जिन्होंने वादीगण की विकीत शुदा भूमि की खातेदारी गुपचुप अपने नाम दर्ज करवा ली और वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कराने में टालम टोल कर रहे हैं और समय निकाल रहे हैं। क्योंकि प्रतिवादीगण सं01 ता 4 के दिल में बदयान्ति पैदा हो चुकी है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि वादीगण ने काफीबार प्रतिवादी सं01 ता 4 से खातेदारी करवाने के लिए निवेदन किया तो खातेदारी दर्ज कराने में टालम टोल कर रहे हैं। दिनांक 11.06.2017 को वादीगण ने प्रतिवादी सं01 ता 4 से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादीगण के नाम करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने वादीगण से स्पष्ट इंकार कर दिया और यह कहा कि भूमि हमारी है। तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। हम दीगर व्यक्तियों को अच्छी कीमत लेकर रजिस्ट्री करवा देंगे और तुमको बेदखल करवा देंगे। प्रतिवादीगण ने इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए एक नाजायज गिरोह बना रखा है। प्रतिवादीगण अपने उद्देश्य में सफल हो गये तो वादीगण को अपूर्तनीय क्षति पैदा होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं होगी तथा वादीगण को अपनी खरीदशुदा भूमि से बंचित रहना पडेगा। प्रतिवादीगण वादीगण के समझाने पर अजखुद मानने को तैयार नहीं है। इस कारण यह दावा इनके विरूद्ध घोषणा खातेदारी पेश करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनांक 11.06.2017 को प्रतिवादी सं01 ता 4 के द्वारा वादीगण के नाम खातेदारी नहीं कराने एवं भूमि को दीगर व्यक्तियों को बेचने की एलानियॉ धमकी देने के कारण बमुकाम जेबरसांकडा तहसील हिण्डौन पैदा हुई है। अतः दावा हाजा अन्दर म्याद पेश है।

वाद पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी सं0 5 लगायत 12 भूमि के सहखातेदार उमेद के जायज मुकाम कानूनी वारिस होने के कारण तरतीबी प्रतिवादीगण बनाये गये हैं, जिनके विरूद्ध कोई दादरसी नहीं चाही गयी है।

वाद पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी सं013 लैण्ड होल्डर होने के कारण तरतीवी प्रतिवादी बनाया गया है। कोई दादरसी नहीं चाही गयी है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी डिकी किया जावे कि वादीगण भूमि खसरा नम्बर 88,92 के 50/70 भाग एवं खसरा नम्बर 93 के 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें एवं प्रतिवादी सं01 ता 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जावे। समस्त रेवन्यू रिकार्ड में वादीगण के नाम खातेदारी का इन्द्राज कराया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 नकल जमाबन्दी सं0 2058 से 61 किता–2, फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उनवानी विष्णु बहक गोपाललाल वगैरहा दिनांक 12.11.2003 पेश की हैं तथा जुवानी सहादत में वादी गोपाललाल का शपथ पत्र पेश किया है।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस मुताविक वाद पत्र दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2058 से 61 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 88 रकबा 0.26 है0, 92 रकबा 0.44 है0, 94 रकबा 0.58 है0,कुल किता 3 कुल रकबा 1.28 है0 वाके ग्राम जेवरसांकडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी विष्णु पुत्र गिल्ली जाति ब्राहम्ण सा0देह खातेदार हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 हिण्डौन मुर्तहिन दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं014 – रहनमुक्त– 18.08.2004 से खाता रहनमुक्त किया गया एवं नामान्तकरण सं018 – विरासत– 21.10.2004 से विष्णु के बजाय खाता प्रकाश द्वारका शिवकुमार गोविन्द पि0 विष्णु, केशर बेबा विष्णु, कमलेश ममता पुत्री विष्णु ब्राहम्ण हि0ब0 नि0 ग्राम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2058 से 61 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 93 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम जेवरसांकडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी विष्णु पुत्र गिल्ली जाति ब्राहम्ण सा0देह खातेदार राहिन हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 हिण्डौन मुर्तहिन, उम्मेद पुत्र पीरू कोली सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं014 – रहनमुक्त– 18.08.2004 से खाता रहनमुक्त किया गया एवं नामान्तकरण सं018 – विरासत– 21.10.2004 से विष्णु के बजाय खाता प्रकाश द्वारका शिवकुमार गोविन्द पि0 विष्णु, केशर बेबा विष्णु, कमलेश ममता पुत्री विष्णु ब्राहम्ण हि0ब0 1/2 नि0 ग्राम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2070 से 73 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 65 रकबा 0.43 है0, 66 रकबा 0.43 है0, 71 रकबा 0.58 है0, 88 रकबा 0.26 है0, 92 रकबा 0.44 है0, 94 रकबा 0.58 है0,कुल किता 6 कुल रकबा 2.72 है0 वाके ग्राम जेवरसांकडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी प्रकाश द्वारका शिवकुमार गोविन्द पि0 विष्णु हि0ब0 नि0 ग्राम खातेदार राहिन पी0एन0बी0 शाखा हिण्डौन मुर्तहिन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2070 से 73 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 93 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम जेवरसांकडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी प्रकाश द्वारका शिवकुमार गोविन्द पि0 विष्णु हि0ब01/2, उम्मेद पुत्र पीरू कोली हि01/2 सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उनवानी विष्णु बहक गोपाल लाल वगैराह दिनांक 12.11.2003 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 0.26 है0, 92 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम जेवर सांकडा में से खातेदार (विक्रेता) विष्णु पुत्र गिल्ली जाति ब्राहम्ण निवासी जेवरसांकडा तहसील हिण्डौन ने क्रेतागण गोपाललाल, सन्तोष, भरतलाल, सीयाराम पिसरान चिरंजी जाति ब्राहम्ण निवासी जेबरसांकडा तहसील हिण्डौन को 50/70 भाग की भूमि यानि 0.50 है0 भूमि को एवं खसरा नम्बर 93 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0चाह स्थित ग्राम जेबरसांकडा तहसील हिण्डौन में हिस्सा 1/4 भाग को विक्रय किया गया है तथा मौके पर विक्रीत भूमि एवं चाह पर कब्जा संभलाया गया है। उक्त विक्रय पत्र उप पंजीयक हिण्डौन के कार्यालय में दिनांक 12.11.2003 को रजिस्टर्ड व पंजीबद्ध हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 0.26 है0, 92 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम जेवर सांकडा में से खातेदार (विक्रेता) विष्णु पुत्र गिल्ली जाति ब्राहम्ण निवासी जेवरसांकडा तहसील हिण्डौन, ने क्रेतागण (वादीगण) गोपाललाल, सन्तोष, भरतलाल, सीयाराम पिसरान चिरंजी जाति ब्राहम्ण निवासी जेबरसांकडा तहसील हिण्डौन को 50/70 भाग की भूमि का बेचान किया गया तथा मौके पर कब्जा संभलाया गया है तथा खसरा नम्बर 93 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0चाह स्थित ग्राम जेबरसांकडा तहसील हिण्डौन में हिस्सा 1/4 भाग को विक्रय किया गया है तथा मौके पर विक्रीत गै0मु0चाह के 1/4 भाग पर कब्जा संभलाया गया है। विवादित आराजीयात पूर्व में विक्रेता विष्णु पुत्र गिल्ली ब्राहम्ण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात

श्री तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान के खातेदारी तब्दील हुई। वर्तमान में विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 88 रकबा 0.26 है0, 92 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम जेवर सांकडा की खातेदारी प्रतिवादी सं01 ता 4 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 93 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0चाह स्थित ग्राम जेवरसांकडा तहसील हिण्डौन में प्रतिवादी सं01 ता 4 हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी सं05 ता 12 के पूर्वज उम्मेद पुत्र पीरू जाति कोली सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण ने विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 88 रकबा 0.26 है0, 92 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम जेवर सांकडा में से 50/70 भाग की भूमि को एवं खसरा नम्बर 93 रकबा 0.02 है0 स्थित ग्राम जेवर सांकडा में से हि01/4 भाग को प्रतिवादी सं01 ता 4 के पिता विष्णु से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। जिसकी खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी साबित हैं। ऐसे हालात में वादीगण को विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 88 रकबा 0.26 है0, 92 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम जेवर सांकडा में हिस्सा 50/70 भाग का एवं खसरा नम्बर 93 रकबा 0.02 है0 स्थित ग्राम जेवर सांकडा में से हि01/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 88 रकबा 0.26 है0, 92 रकबा 0.44 है0 वाके ग्राम जेवर सांकडा तहसील हिण्डौन में वादीगण को बहिस्सा बराबर हिस्सा 50/70 भाग का एवं प्रतिवादी सं01 ता 4 को हिस्सा 20/70 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 93 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 चाह स्थित ग्राम जेवर सांकडा तहसील हिण्डौन में वादी को हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 93 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 चाह स्थित ग्राम जेवर सांकडा तहसील हिण्डौन में 1/2 हिस्से का खातेदार उम्मेद पुत्र पीरू कोली बदस्तूर रहेगा। रहन मुर्तहिन के इन्द्राज वादीगण के हिस्से पर नहीं रहेगा बल्कि प्रतिवादीगण के हिस्सा पर रहन मुर्तहिन के इन्द्राज बदस्तूर दर्ज किये जावें। शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेगें। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.8.21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली